उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
(आई.एस.ओ.9001:2015,14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)
म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
पंजीयन कृमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9/12/1977
GSTIN-23AAAAU0051C1ZB PAN No. AAAAU0051C

पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु तृतीय ई–निविदा

उज्जैन दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मंदसौर शहर में साँची पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद के वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु तृतीय ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) निविदाकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते है। वितरक सह–परिवहनकर्ता की नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तीथि एवं समय	दिनांक 30.09.2025 को www.mptenders.gov.in से रू.500/– के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2.	ई–निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 06.10.2025 समय 12:00 बजे तक
3.	ई–निविदा ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 08.10.2025 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, उज्जैन दुग्ध संघ
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू 50,000/– (राशि रू. पचास हजार मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी निविदाकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर निविदा प्रपत्र में वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप ई–निविदा प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर निविदा प्रपत्र रू 500/– ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद, ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी निविदा को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

वितरक सह–परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक–एक वर्ष कर निरंतर दो वर्ष हेतु अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नही किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आवेदन प्रपत्र मुल्य रू. 500.00

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

मंदसौर शहर में साँची पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सहपरिवहनकर्ता कार्य हेतु ई–निविदा प्रपत्र वर्ष 2025–2028

पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु तृतीय ई–निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 30.09.2025 को www.mptenders.gov.in से समय 12:00 बजे से
2	ई–निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 06.10.2025 समय 12:00 बजे तक
3	तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 08.10.2025 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, उज्जैन दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि	**रू. 50,000/– (पचास हजार मात्र) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से**
5	दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु ''आवश्यक अर्हताऐं'' का प्रारूप	प्रपत्र 01
6	दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य की सामान्य शर्तें	प्रपत्र 02
7	दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा प्रपत्र	प्रपत्र 03
8	.''भाव पत्र/दरे'' प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र 04

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- **निविदाकर्ता को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकर्ता, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्केन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।**
- **निविदा स्वीकृत होने की दशा में पात्र निविदाकर्ता को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेंजों की मूल प्रति उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में उज्जैन दुग्ध संघ का निणर्य सर्वोपरी होगा।**

प्रपत्र क्र.1

आवश्यक अर्हताऐं

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
उज्जैन।

महोदय,

उज्जैन दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मंदसौर शहर में साँची पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक....................को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तृतीय ई–निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकार का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर / कंर्सोटियम)		निविदाकार का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर / कंर्सोटियम) अंकित करें तथा तदाशय का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
1.1	एकल स्वामित्व / भागीदारी / जवाइंट वेंचर / कंर्सोटियम) कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व / कंपनी / ज्वाइंट वेंचर / कंर्सोटियम की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी / प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है
1.2	निविदाकार (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर / कंर्सोटियम) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.3	GST नम्बर होना अनिवार्य है।		GST नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।
1.4	निविदाकार (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर / कंर्सोटियम) का जीवित वैध गुमास्ता लायसेंस		जीवित वैध गुमास्ता लायसेन्स की प्रति संलग्न करें।
1.5	निविदाकार (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर / कंर्सोटियम) निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 04 संलग्न करें।		निविदाकार (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर / कंर्सोटियम) निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.04 संलग्न करें।

स.क्र	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1.6	निविदाकार (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर / कंर्सोटियम) को किसी भी शासकीय / अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा पुलिस थाने / मा. न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नहीं है।		तदाशय का शपथ पत्र रू 100 / – के नोटराईज्ड स्टॉम्प (टिकट सहित) पर प्रस्तुत करें। निविदा प्रपत्र के प्रपत्र 05 में प्रारूप संलग्न है।
1.7	निविदाकार (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर / कंर्सोटियम) को 02 वर्ष का पैक्ड दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता अथवा एफएमसीजी क्षेत्र में वितरक कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।		तदाशय का संस्था / कम्पनी द्वारा जारी दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य के आदेश की प्रति संलग्न करें एवं दो वर्ष के अनुभव की प्रमाणिकता हेतु रू 100 / – के नोटराइज्ड स्टॉम्प (टिकट सहित) पर शपथ पत्र संलग्न करें। शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र.06 पर संलग्न है।
1.8	उपलब्ध वाहन का प्रकार :		प्रपत्र क्र.09 के तालिका में दर्शाए मार्ग के सम्मुख वाहन की क्षमता, वाहन मॉडल निर्माण वर्ष 2022 के हो अथवा इसके बाद के वर्षो के हो, उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें अथवा नए वाहन लगाए जाने की दशा में रू 100 / – के नोटराइज्ड स्टॉम्प (टिकट सहित) पर तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। **शपथ पत्र का प्रारूप निविदा प्रपत्र क्र.07 में अवलोकन हेतु संलग्न है।**
1.9	निविदाकार (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य का वैध एफ. एस.एस.ए.आई. लायसेंस की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध लायसेंस की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करे।
1.10	निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रू. 50,000 / – (पचास हजार रूपये) की रसीद संलग्न करें।
1.11	निविदाकर्ता को (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) वित्तीय वर्ष 2021–2022, 2022–2023 एवं 2023–2024 का आयकर जमा रिर्टन संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर रिर्टन की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
1.12	निविदाकर्ता(फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) बैंक का विवरण		चालू खाते की निरस्त चैक की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
1.13	म.प्र. राज्य में स्थित उद्यमी एम.एस. एम.ई का सर्टिफिकेट संलग्न करें।		तदाशय के एम.एस.एम.ई के सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करें। केवल म.प्र. राज्य में स्थित MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी।

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को **स्वप्रमाणित प्रतियॉ ऑनलाईन रूप से स्केन कर संलग्न करना अनिवार्य है।**

(2) उपरोक्त दस्तावेजो में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाए अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर ——————————————

नाम :– ——————————————

पता :——————————————

——————————————

——————————————

टेलीफोन नं.——————————————

मोबाईल नं ——————————————

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते :–

1. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकर्ताओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।
2. प्रतिभागी निविदाकार के पास प्रपत्र क्र.09 में दर्शाए मार्ग के सम्मुख वाहन की क्षमता एवं वाहन मॉडल का निर्माण एवं पंजीयन वर्ष 2022 के ही हो अथवा इसके बाद के वर्षो के हो उपलब्ध होना अनिवार्य है। दूध एवं दुग्ध उत्पाद के उचित प्रशीतन हेतु उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए दूध वाहन में 04 इंच हैवी डेन्सिटी के थर्मोकोल या पफ इंसूलेशन 02 इंच जिसमें तापमान 02 से 04 डिग्री निर्धारित हो, इंसूलेटेड वाहन का होना अनिवार्य है। नए वाहन लगाए जाने की दशा में एक माह की अवधि में उक्त वाहन संलग्न करेंगें।

3.1 सफल निविदाकार जो कि नए वाहन क्रय कर दुग्ध संघ में संलग्न करेंगे उन्हे एक माह की अवधि में दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित इंसूलेटेड वाहन तैयार कर (इंसूलेशन, तापमान एवं क्षमता) लगाना होगा। यदि कतिपय कारणो से नया वाहन एवं वाहन संबंधि समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करने में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ का निणर्य सर्वोपरी होगा।

3.2 निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रू.1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र.08 में संलग्न है। जिसे केवल सफल निविदाकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतः निविदाकार अनुबंध प्रपत्र के प्रारूप को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न करें।

3.3 केवल म.प्र. राज्य में स्थित MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। परंतु MSME उद्यमियों को ऑनलाईन MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलन करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण पत्र संलग्न किए ऐसी निविदाएं अपात्र घोषित की जाएंगी।

3. निविदा स्वीकृत होने एवं अनुबंध निष्पादित होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
4. **निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को कुल प्रतिदिन विक्रय किये गये दूध एवं दुग्ध उत्पाद के मूल्य के मान से 7 दिवस के विक्रय की राशि प्रतिभूति राशि के रूप में दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही 7 दिवस के दूध प्रदायगी के समतुल्य क्रेट की राशि क्रेट मद में प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति राशि अनुबंध के साथ जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किये जाएगे। प्रतिभूति राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की प्रदायगी नही की जाएगी। नगद प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**
5. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन को होगा साथ ही निविदाकार के ऐसे निविदा निरस्त समझा जाऐगा।
6. प्रतिभागी निविदाकार को दरें केवल ओर केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें अमान्य होंगी।
7. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास निहित होगा।
8. निविदा स्वीकृति के पश्चात् परिवहनकर्ता की कार्य अवधि कार्य आरम्भ करने की दिनांक से तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जावेगी।

9. पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
10. अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जाकर भुगतान/वसूली करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ को होगा। जिसकी गणना मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हैं औसतन किलोमीटर के आधार पर की जाएंगी।
11. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के डेरी प्लांट मंदसौर की सूची निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.09 में उल्लेखित है। प्रतिभागी निविदाकार विपणन मार्ग का अध्ययन करने के उपरांत ही प्रति लीटर पर अपनी दरें समस्त व्यय एवं कर सहित प्रस्तुत करेंगे।
12.1 प्रतिभागी निविदाकार जिन मार्ग पर ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं। मार्ग की विस्तृत सूची की जानकारी दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।
12. निविदा प्राप्ति की तिथी व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।
13. **निविदाकार यह विशेष रूप से ध्यान रखे कि यह निविदा पूर्ण रूप से ई–निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा के नियम एवं शर्तो को ध्यान से पढ़े एवं समझे एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेजो में काट–छांट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।**
14. **सफल निविदाकार को निविदा की औपचारिकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकार द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है तो प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ का निणर्य सर्वोपरी होगा।**
15. **प्रतिभागी निविदाकार निविदा में चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें अन्यथा प्रत्येक दस्तावेज स्वप्रमाणित न पाये जाने की स्थिति में ऐसी निविदाओं को अमान्य किया जाएगा।**
16. निविदाकार परिवहनकार्य संबंधि प्रपत्र क्र.01 में मांगे गए समस्त वांछित दस्तावेजो की प्रति संलग्न करें। आवश्यक अर्हताओं के दस्तावेजों में किसी भी प्रकारी की काट छाट न करें एवं ओव्हरराइटिंग न करें। अन्यथा शब्दो में भिन्नता एवं ओव्हरराइटिंग पाये जाने पर ऐसी निविदाएं निरस्त होंगी।
17. निविदाकार निविदा में डीजल की दरों को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन दरें प्रस्तुत करे। अनुबंध अवधि में यदि सफल निविदाकार द्वारा निविदा की स्वीकृत दरों पर परिवहन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित निविदाकार को आगामी निविदाओं के लिए अपात्र घोषित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
18. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदाकार को प्रपत्र क्र.01 में मांगे गए आवश्यक अर्हताओं के अंतर्गत वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति जो कि उसके द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई थी, की मूलप्रतियाँ एक माह के अंदर औपचारिकताएं पूर्ण करने के विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कतिपय कारणों से दस्तावेजों की मूलप्रतियाँ प्रस्तुत नही की जाती है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का निर्णय सर्वोपरी होगा।
19. अनुबंध अवधि में वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग होने पर संबंधित वितरक सह–परिवहनकर्ता को मिनी डेयरी प्लांट मंदसौर प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत परिवहन दर ही मान्य की जाएंगी। स्वीकृत परिवहन दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जाऐगा।
20. निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो निविदाकार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।

21. यदि वर्तमान में कार्यरत किसी वितरक सह–परिवहनकर्ता की दरें स्वीकृत होती हैं तो समस्त लेनदारी देनदारी उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जाएगा।
22. निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।
23. वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग पर स्थित समस्त विक्रय केन्द्रों से दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग लेकर एकजाई मांग दुग्ध संघ को उपलब्ध करानी होगी तथा प्रतिदिन दोनों समय की विक्रय केन्द्रवार मांग की जानकारी दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी।विक्रय केन्द्रवार प्रतिदिन मांग अनुसार वितरक सह–परिवहनकर्ता को स्वयं के स्तर पर चालान शीट तैयार करनी होगी एवं ई–मेल के माध्यम से सॉफ्टकॉपी एवं छायाप्रति प्रतिदिन तथा मासिक आधार पर संघ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
24. सफल निविदाकार को दुग्ध संघ द्वारा 36 पैसे प्रतिलीटर मार्जिन प्रदान किया जाएगा। जिसमें समय–समय पर वृद्धि का निर्णय दुग्ध संघ द्वारा किया जाएगा। विक्रय केन्द्रों की लीकेज की भरपाई सफल निविदाकार को करनी होगी।
25. निविदाकार को निविदा में वर्णित दर में केवल परिवहन दर ही अंकित करनी होगी। आवंटित मार्ग में निर्धारित किलोमीटर का भुगतान प्रतिमाह प्रस्तुत किए गए देयकों के नियमानुसार सत्यापन पश्चात् किया जाएगा। निविदाकार को अनुबंध अवधि में स्वीकृत दरों पर ही परिवहन किए गए दूध की मात्रा का प्रतिलीटर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। निविदाकार को संस्थाओं को प्रदाय किए गए दुग्ध की मात्रा पर वितरक कमीशन देय नही होगा केवल संस्थाओं तक प्रदाय किए गए दुग्ध की मात्रा के विरूद्ध सत्यापित किलोमीटर का ही भुगतान किया जाएगा।
26. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत कार्य आवंटित होने की स्थिति में आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।
27. यदि निविदाकार वर्तमान में उज्जैन दुग्ध संघ में वितरक सह–परिवहनकर्ता/वितरक के रूप में कार्यरत हैं एवं यदि ऐसे निविदाकार निविदा में अपनी निविदाएं प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व दुग्ध संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा की तकनीकी अंहर्तओं के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नही किया जाता हैं तो ऐसी निविदा अमान्य की जाएगी।

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समक्ष ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 27 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमती देता/देती हूं।

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम

हस्ताक्षर–

प्रपत्र क्र. 03

वित्तीय बिड (केवल ऑनलाईन ही भरें) प्रारूप केवल देखने हेतु

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दरें (अंको में) प्रति लीटर	परिवहन दरें (शब्दों में) रू प्रति लीटर
1.	मंदसौर शहर		

नोटः– निविदाकार को केवल ऑनलाइन दरें ही प्रस्तुत करनी होगी। निविदाकार ऑन लाइन दरें स्पष्ट रूप से भरें। अंकों एवं शब्दों में किसी भी प्रकार से कोई भिन्नता न हो। यदि अंको में भिन्नता होगी तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरों को मान्य किया जाएगा।

प्रपत्र क्रमांक – 4

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा–प्रपत्र

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो

1. निविदाकर्ता का नाम ....

(फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप फर्म / एकल स्वामित्व)

2. पिता / पति का नाम ....

3. स्थाई / वर्तमान पता ....

....

....

4. दूरभाष / मोबाईल नं. ....

5. ई–मेल एड्रेस ....

6. वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु शहर का नाम ....

7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) ....

....

8. (अ) पेन नम्बर ....

(ब) FSSAI ....

(स) आधार कार्ड नम्बर..

9. ऑनलाईन द्वारा भरी गई ई.एम.डी. का रसीद नंबर ....
(समस्त दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा साँची पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका / चुकी हूं और मान्य करता / करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम

प्रपत्र क्र.''5'

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि मेरे/हमारे द्वारा मंदसौर शहर में दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक .... (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी का नाम अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नही है।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

1. गवाह
   नामः–..
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं..
2. गवाह
   नामः–..
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं..

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 एवं 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

प्रपत्र ''6''

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि स्वप्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य का कुल दो वर्ष का अनुभव है। मेरे/हमारे .... द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होश ओ हवाश एवं ईमानदारीपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कि पूर्णतया सत्य एवं सही है। यदि अनुबंध अवधि में इस संबंध में मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत पाई जाती है एवं यह शपथ पत्र कि प्रमाणिकता असत्य पाई जाती है तो मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र होगा। जिसकी समस्त जवाबदेही मेरी/हमारी होगीं।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

<u>प्रपत्र "7"</u>

शपथ पत्र का प्रारूप

<u>(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)</u>

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि यह कि मेरे/हमारे द्वारा मंदसौर शहर में दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि यदि मेरी/हमारी निविदा नियमानुसार स्वीकृत होती है तो मै/हम दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित क्षमता, मॉडल एवं पंजीयन तथा तापमान के वर्ष 2022 के पंजीकृत तथा मॉडल अथवा इसके बाद के वर्षो के इंसूलेटेड वाहन एक माह के अंदर संलग्न करूंगा। इस हेतु मै/हम अपना शपथ पत्र निविदा की तकनीकी अर्हता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

अनुबंध का प्रारूप (केवल देखने हेतु)
साँची दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य अनुबंध
दुग्ध परिवहन /वितरण हेतु अनुबंध–प्रपत्र (शहरी विपणन)

यह अनुबंध आज दिनांक.................................... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा।

एवं मेसर्स .... मंदसौर द्वारा पार्टनर श्री .... से बतौर दूध एवं दुग्ध उत्पाद के वितरक सह–परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मंदसौर शहर के लिए दिनांक .... से दिनांक .... तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर वितरक सह–परिवहनकर्ता नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत् निम्नलिखित शर्तो के अधीन दुग्ध संघ व वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् वितरक सह–परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। वितरक सह–परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. वितरक सह–परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ के पास दूध पेटे प्रतिभूति राशि रू.460000.00 (शब्दों में चार लाख साठ हजार मात्र) एवं क्रेट पेटे प्रतिभूति राशि रू. 1,40,000.00 (शब्दों में एक लाख चालिस हजार मात्र) नगद कुल प्रतिभूति राशि रू. 6,00,000.00 (शब्दों में छः लाख मात्र) दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि, वितरकशिप अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधि वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
4. **निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में वितरक को संघ में वितरक का पंजीयन (वेण्डर रजिस्ट्रेशन) कराना होगा। जिस हेतु उसे संघ कार्यालय में रू.100/– जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी।**
5. वितरक सह–परिवहनकर्ता मंदसौर शहर में स्थित साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद निर्धारित विक्रय केन्द्रों, पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में पहुंचाना सुनिश्चित करेगा। वितरण सुविधा हेतु मार्ग के विक्रय केन्द्रों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करने एवं विक्रय केन्द्रों को किसी भी मार्ग से अन्य मार्ग पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास होगा, जो वितरक सह–परिवहनकर्ता को मान्य करना होगा।
6. वितरक सह–परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद एक्स डेयरी डाक मंदसौर से मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल,भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाऐगा।
7. वितरक सह–परिवहनकर्ता को डेयरी डाक से प्राप्त किये गये साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद का वितरण कार्य सिर्फ इन्सुलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।
8. वितरक सह–परिवहनकर्ता, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय एजेन्टों को दूध की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेगा। एजेंटों की मांग, वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहें कर्मचारी अपनी मर्जी से न घटाएगें/न बढ़ायेगें।
9. वितरक निर्धारित रिटेलर दर पर ही दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय एजेन्ट को दूध देगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर विक्रय ऐजन्टों से वसूली कर रहा है, तो दुग्ध संघ वितरक पर पेनल्टी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की बार–बार पुर्नरावृत्ति की स्थिति में वितरकशिप समाप्त कर सकेगा।
10. डेयरी परिसर में स्वच्छता बनाये रखने के लिए वितरण वाहनों की साफ–सफाई संयंत्र परिसर के बाहर करेंगे। डेरी संयंत्र में ऐसा करते पाये जाने पर रू. 500/– का अर्थदण्ड लगाया जाऐगा।
11. वितरक के प्रतिनिधि, डेयरी संयंत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र यथा लेब, कोल्ड स्टोर, संसाधन, पैकेजिंग कक्ष में नहीं जावेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में पाये जाने पर संघ जो भी दण्ड तय करेगा वह वितरक को मान्य होगा।

12. वितरक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।
13. वितरण वाहन पर कार्यरत स्टॉफ द्वारा मांग पत्र/प्रदाय विवरण के कागज को फाड़कर संयंत्र में फेंक दिया जाता है, इसके कारण संघ परिसर में अनावश्यक गंदगी उत्पन्न होती है। अतः वेस्टेज सामग्री निर्धारित स्थान पर ही डस्टबिन में डाली जाऐं।
14. दुग्ध संघ डेयरी डाक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक को उठाना होगा। डेयरी डाक पर वितरक छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं विक्रय एजेन्टों को अच्छे पैकेट देगा। **दुग्ध वितरण के उपरांत संघ द्वारा दूध रिटर्न नहीं लिया जाएगा।**
15. वितरक सह–परिवहनकर्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।
16. वितरक सह–परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता दुग्ध संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
17. दुग्ध संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत लेबर को संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो, उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य वितरक सह–परिवहनकर्ता अपनें वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगाएगा। इस शर्त का उल्लघंन करते पाये जानें पर वितरक सह–परिवहनकर्ता की वितरक सह–परिवहनकर्ताशिप बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण संघ स्वतंत्र होगा।
18. वितरक सह–परिवहनकर्ता को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाऐगी।
19. वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को वितरक सह–परिवहनकर्ता अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एंव दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आनें दें।
20. **वितरक सह–परिवहनकर्ता दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेटस आदि का पूर्ण लेखा–जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापसी हेतु जवाबदार रहेगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक सह–परिवहनकर्ता से क्रेटस की राशि रू.100/– प्रतिक्रेट पेनल्टी एवं क्रेट का मूल्य वसूल करेगा। खाली क्रेट्स सुबह 11:00 बजे तक एवं शाम को 8:00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा।**
21. वितरक सह–परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जबावदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरूद्ध की जा सकेगी।
22. वितरक सह–परिवहनकर्ता दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढोतरी हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कराऐगा। विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जाऐगी।
23. **वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा आवंटित मार्ग के बूथ/पार्लर/एजेन्सी/अन्य को प्रदाय किये गये दूध की धनराशि का भुगतान वितरक को स्वयं प्राप्त करना होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/एजेंसी अथवा अन्य के किसी भी भुगतान के लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।**
24. समय समय पर दुग्ध संघ वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित जोन हेतु विक्रय लक्ष्य देगा, जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक सह–परिवहनकर्ता के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पानें पर इस बाबत् प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता बाध्य होगा।
25. वितरक सह–परिवहनकर्ता से जो भी अर्थदण्ड की राशि वसूली किया जाना अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित है, की वसूली वितरक सह–परिवहनकर्ता से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि से की जाऐगी।
26. वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित कार्य किसी अन्य को वितरक सह–परिवहनकर्ता हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये दी गई आवंटित मार्ग निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।
27. वितरक सह–परिवहनकर्ता प्रतिमाह आवश्यकतानुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा–जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराऐगा।

28. समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता को दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय–समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपनें व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें कार्य आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

29. वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता का इन्सुलेटेड वाहन स्वंय के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।

30. **वितरक सह–परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ की गठित समिति को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संघ द्वारा गठित समिति से कराना होगा।**

31. वितरक सह–परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि मे वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों मे परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवंश वितरक सह–परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह–परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।

32. संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा नियमित रूप से दूध प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश वितरक सह–परिवहनकर्ता किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दूध प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध प्रदाय संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रो पर बंद कर सकेगा। यदि वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध प्रदाय बंद किया जाता है तो संघ को हूई हानि के बराबर राशि वसूली जावेगी।

33. वितरक सह–परिवहनकर्ता को अपने मार्ग के समस्त दुग्ध विक्रय केन्द्रो एवं शासकीय संस्थाओं आदि से आगामी मांग हेतु निर्धारित चालान संघ में नियमित रूप से जमा करने होगे। किसी कारणवंश चालान दुग्ध संघ में जमा न होने पर राशि रू. 50/–प्रति चालान प्रतिदिन वितरक से दण्ड स्वरूप वसूली योग्य होगी।

34. यह कि वितरक सह–परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध उत्पाद व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाऐगी :–

(1) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस दूध पैकेट तक अधिक पाये जाते हैं तो वितरक सह–परिवहनकर्ता से दूध की कीमत की पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड वसूल की जावेगी।

(2) एक क्रेट या उससे अधिक दूध/दूध पैकेट पाये जाने पर दूध की कीमत का 20 गुना राशि का अर्थदण्ड वितरक सह–परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जाऐगा। दैनिक दुग्ध विक्रय राशि के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित या अन्य कोई भी वसूली वितरक द्वारा संघ में जमा चेक बुक के माध्यम से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

35. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गो के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत वितरकों के मार्गो के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।

36. वितरक सह–परिवहनकर्ता को शासन द्वारा जारी फूड लायसेंस एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज़ लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

37. **दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता को प्रदाय किये गये दूध की समस्त धनराशि आर.टी.जी.एस/एन. ई.एफ.टी के माध्यम से जमा करेगा अथवा संघ में रेखाकिंत (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। (जो भी लागू हो) धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश अनादरित होने की स्थिति निम्नानुसार भुगतान प्राप्त किया जाएगा।**

A- धनादेश के अनादरित होने पर रू.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रू.1000/– के मान से वसूली जावेगी। रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादरित होने पर अर्थदंड रू.2000/– प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।

B- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस की भीतर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिन के लिए अर्थदंड की राशि

रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रू.2000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.4000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

C- यदि इसके पश्चात् भी वितरक द्वारा मूल राशि के साथ—साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रू.3000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.6000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

D- समस्त दूध वितरक व सह—परिवहनकर्ता के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ—साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

38. डेयरी परिसर के अंदर वितरक सह—परिवहनकर्ता के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धुम्रपान, तम्बाखू, शराब आदि का सेवन एवं उंची आवाज में गाना बजाना आदि नहीं किया जावेगा साथ ही वाहन चालक द्वारा डेयरी परिसर में वाहन की रफ्तार अधिकतम 20 कि.मी. प्रति घण्टा रखी जावेगी।
39. वितरक सह—परिवहनकर्ता अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण दुग्ध वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित वितरक सह—परिवहनकर्ता से की जावेगी।
40. वितरकों द्वारा निविदा के समय विक्रय होने वाले एक दिन के दूध एवं दुग्ध उत्पाद की पांच गुना राशि अर्थात पांच दिन के विक्रय के बराबर राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि का पुर्नरिक्षण प्रत्येक एक वर्ष बाद किया जायेगा अर्थात एक वर्ष बाद उस मार्ग पर जितनी दूध की विक्रय मात्रा होगी, उसकी कीमत का पांच गुना अर्थात पांच दिन के विक्रय राशि के समतुल्य प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।
41. संघ में पूर्व से कार्यरत वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को निविदा में भाग लेने पर पुनः मार्ग आवंटित होने की स्थिति में संघ का **यदि बकाया क्रेट/बकाया दुग्ध उत्पाद विक्रय राशि लेना** शेष निकलता है तो उसे संघ में जमा करने के बाद ही कार्य आदेश दिया जाऐगा।
42. वितरक सह—परिवहनकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक सह— परिवहनकर्ता को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दिशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
43. दुग्ध संघ द्वारा समय—समय पर दिये गये लिखित/मौखिक निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
44. मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा एक बार मंदसौर शहर के लिये वाहन निर्धारित किये जाने पर पूर्ण अवधि पर ऐसी वाहन से या उसके समकक्ष, इंसुलेटेड वाहन से दूध वितरण एवं परिवहन किया जाऐगा। ऐसा न करने पर या वांछित वाहन के स्थान पर छोटा वाहन चलाने पर कार्य आवंटन निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
45. अनुबंध अवधि में वितरक सह—परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण शहर पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग होने पर अथवा दुग्ध वाहन खराब होने पर संबंधित वितरक सह—परिवहनकर्ता को मंदसौर दुग्ध संयंत्र प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत अनुबंधित दर ही मान्य की जाऐंगी। स्वीकृत अनुबंधित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जाऐगा।
46. **दुग्ध संघ द्वारा समय—समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रो/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।**
47. **यह कि मंदसौर शहर में श्री/मेसर्स ....वितरक सह—परिवहनकर्ता के रूप में परिवहन दर रूपये................................ पैसे प्रति लीटर वितरक मार्जिन अंकों में रू.0.36 प्रतिलीटर (शब्दों में छत्तीस पैसे प्रतिलीटर) पर कार्य करेंगे।**
48. **वितरक सह—परिवहनकर्ता को आवंटित शहर के समस्त विक्रय केन्द्रों से दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग लेकर एकजाई मांग दुग्ध संघ को उपलब्ध करानी होगी तथा प्रतिदिन दोनों समय की विक्रय केन्द्रवार मांग की जानकारी दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी। विक्रय केन्द्रवार प्रतिदिन मांग अनुसार वितरक सह—परिवहनकर्ता को स्वयं के स्तर पर शीट चालान तैयार करनी होगी एवं ई—मेल के माध्यम सॉफ्टकॉपी एवं छायाप्रति प्रतिदिन तथा मासिक आधार पर दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।**
49. **वितरक सह—परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद**

वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।

50. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह–परिवहनकर्ता की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेंगी। इसकी गणना मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हैं।
51. यह अनुबंध तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
52. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
53. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन शहर का न्यायालय में रहेगाा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तो के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह–परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक................ को निष्पादित किया गया है।
54. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से अनुबंधित दुग्ध वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी वितरक सह–परिवहनकर्ता की होगी।
55. यह कि वितरक सह–परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को अनुबंध की समान शर्तों पर निविदा हस्तांरित की जा सकेगी।
56. यह की वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध वितरण के दौरान अनुबंधित वाहन में अन्य ब्रांडो का दुग्ध/क्रेट्स/पैकेट्स औचक निरीक्षण के दौरान पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया रू 10000/– का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष को अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की जाएगी।
57. निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 02 में वर्णित नियम व शर्तें अनुबंध का भाग मानी जावेंगी।

मैं .... पिता/पति/पत्नी.. वितरक सह–परिवहनकर्ता मार्ग क्रमांक .... अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति.. को घोषित करता/ करती हूँ।

वितरक सह–परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर ....
नाम..
पता..
....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सह.दुग्ध संघ मर्या.

1.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः–.................................
....
....

प्रभारी (विपणन)
उज्जैन सह.दुग्ध संघ मर्या.

2.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः–.....................................
....
....

प्रपत्र 09

क्र.	शहर का नाम	स्थानों का विवरण	
1	मंदसौर शहर	राम टेकरी	**परिवहन कार्य प्रति लीटर में दूरी आना–जाना (सुबह–शाम) 15 कि.मी (वर्तमान औसत दूध विक्रय 1300 लीटर)**
		सिद्धचक्र विहार	
		गांधी चौराहा	
		जनक कुबरा	
		खान पुरा	
		नयापुरा	
		चंद्रपुरा	
		जनता कॉलोनी	
		रेल्वे स्टेशन क्षेत्र	
		दशरथ नगर	
		सीतामउ फाटक	
		नई आबादी	
		किटीयानी	
		संजीत नाका क्षेत्र	
		अभिनंदन क्षेत्र	
		गीता भवन	
		कोठारी कॉलोनी	
		लाल घाटी क्षेत्र	
		गांधी नगर	
		कृषि उपज मण्डी क्षेत्र	
		पटेल नगर	
		बापू नगर	
नोट	**वाहन मॉडल का निर्माण वर्ष एवं पंजीयन 2022 के ही हो अथवा इसके बाद के वर्ष के हो वाहन क्षमता 150 क्रेट होना आवश्यक है। दूध पेटे प्रतिभूति राशि– 4,60,000.00 क्रेट पेटे प्रतिभूति राशि– 1,40,000.00 कुल जमा योग्य प्रतिभूति राशि – 6,00,000.00**		